न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/

प्रकरण संख्या 99/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री हनुमान सिंह बनाम तहसीलदार भीण्डर

निर्णय

दिनांक : 25.05.2022

1. प्रार्थी श्री हनुमानसिंह उर्फ हड़मतसिंह पिता खुमाणसिंह जाति राजपुत निवासी रणिया, तहसील भीण्डर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रणिया, पटवार मण्डल धावड़िया, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 181 किता 54 रकबा 26.8600 हैक्टेयर व खाता संख्या 179 के आराजी संख्या 494 में प्रार्थी का हिस्सा 1/10 अंकित होकर प्रार्थी का नाम हड़मतसिंह पुत्र खुमाण सिंह लिखा हुआ है जबकि प्रार्थी के समस्त रेकर्ड आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर आई डी. में प्रार्थी का नाम हनुमानसिंह लिखा हुआ है जबकि हड़मतसिंह व हनुमानसिह एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम उक्त खातों में राजस्व रेकर्ड में शुद्धि कराया जाकर हनुमानसिंह उर्फ हड़मतसिंह पिता खुमाण सिंह राजपुत निवासी रणिया अंकित कराया जावें। हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार भीण्डर को जवाब रिपोर्ट हेतु आदेशित किया।

2. तहसीलदार भीण्डर ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें मौजा रणिया, पटवार मण्डल धावड़िया, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 179, 180, 181 में हड़मतसिंह पुत्र खुमाणसिंह जाति राजपुत दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिसमें आधार [illegible] कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में हनुमानसिंह दर्ज है उक्त दस्तावेजों के आधार सही नाम प्रविष्ठ किये जाने बाबत् निवेदन किया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में ग्राम पंचायत धावड़िया के संरपच द्वारा पहचना प्रमाण पत्र जारी किया है जो सलंग्न है। तहसीलदार भीण्डर ने जवाब रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त नाम शुद्धि हेतु अन्य सहखातेदारों के बयान लिया जाना उचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:35:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

रहेगा यदि प्रार्थी साबित करता है तो अप्रार्थी तहसीलदार भीण्डर को कोई आपत्ति नहीं है।

3. हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जिसमें मौजा रणिया, पटवार मण्डल धावड़िया, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 179 के आराजी संख्या 494 रकबा 3.8600 हैक्टेयर भूमि में हिस्सा 1/10 एवं खाता संख्या 181 के कुल किता 54, कुल रकबा 26.8600 हैक्टेयर भूमि में हिस्सा 1/10 भूमि हड़मतसिंह पुत्र खुमाणसिंह जाति राजपुत दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात जिनमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम हनुमानसिंह पुत्र खुमाणसिंह अंकित है तथा संरपच ग्रांम पंचायत धावड़िया द्वारा भी प्रार्थी का पहचान प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसमें हनुमानसिंह एवं हड़मतसिंह पुत्र खुमाणसिंह जाति राजपुत दोनो एक ही व्यक्ति है। अतः उक्त दस्तावेज एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र के अवलोकन से मौजा रणिया, पटवार मण्डल धावड़िया, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 179 के आराजी संख्या 494 रकबा 3.8600 हैक्टेयर भूमि में हिस्सा 1/10 एवं खाता संख्या 181 के कुल किता 54, कुल रकबा 26.8600 हैक्टेयर भूमि में हिस्सा 1/10 भूमि हड़मतसिंह पुत्र खुमाणसिंह जाति राजपुत के स्थान पर हनुमानसिंह पुत्र खुमाणसिंह जाति राजपुत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर मौजा मौजा रणिया, पटवार मण्डल धावड़िया, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 179 के आराजी संख्या 494 रकबा 3.8600 हैक्टेयर भूमि में हिस्सा 1/10 एवं खाता संख्या 181 के कुल किता 54, कुल रकबा 26.8600 हैक्टेयर भूमि में हिस्सा 1/10 भूमि हड़मतसिंह पुत्र खुमाणसिंह जाति राजपुत के स्थान पर हनुमानसिंह पुत्र खुमाणसिंह जाति राजपुत किया जाता है। तहसीलदार भीण्डर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।

5. निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील ... होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:35:15 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)
उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)